संख्या-38/2026/I/1264027/2026/005-71-2099-41-2023

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक- 12-03-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के राजस्व मद के अंतर्गत सहायता अनुदान (गैर वेतन) मद में अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/लेखा/बजट/746/2026, दिनांक 17.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के राजस्व मद के अंतर्गत 20-सहायता अनुदान (गैर-वेतन) मद में अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ हेतु अनुदान संख्या-31 के राजस्व मद के अंतर्गत 20-सहायता अनुदान (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 15.04.2025 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रू0 8125.00 लाख, शासनादेश दिनांक-07-08-2025 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 8125.00 लाख, शासनादेश दिनांक- 31.10.2025 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रू0 8125.00 लाख तथा शासनादेश दिनांक 05.02.2026 द्वारा चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 8125.00 लाख अवमुक्त की गयी है, इस प्रकार अब तक कुल धनराशि रू0 32500.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुपूरक बजट के माध्यम से अनुदान संख्या-31 के राजस्व मद के अंतर्गत 20-सहायता अनुदान (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख (रुपये बीस करोड़ मात्र) अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. निदेशक, एवं वित्त अधिकारी संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।
4. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050309 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई 3-360-/दस-2025-26, दिनांक 11.03.2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-38/2026/।/1264027/2026/005-71-2099-41-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल्)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in